



Neutral Citation No. 2026:AHC-LKO:20228

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

लखनऊ

रिट - ए सं. 1005332 वर्ष 2005

राम चरन

..... याची(गण)

बनाम

राज्य द्वारा सचिव, राजस्व एवं 4 अन्य

..... प्रत्युत्तरदाता(गण)

याची(गण) के अधिवक्ता

: पुष्पा कुमारी मिश्रा, आसिफ रज्जाक खान,

अजय, आशुतोष कुमार श्रीवास्तव,

पुष्पा मिश्रा, विमल कुशोर वर्मा,

प्रत्युत्तरदाता(गण) के अधिवक्ता

: मु.स्था.अ., छोटे लाल यादव, डी. के. पाठक

फरूक अयूब, मोह. सामी, आर. एन. गुप्ता

न्यायालय सं. - 4

माननीय न्यायमूर्ति श्री इरशाद अली

1. कार्यालय रिपोर्ट दिनांक 16.12.2025 का अवलोकन किया, जिसके द्वारा सूचित किया गया

है कि विरोधी पक्षकार सं. 4 को नोटिस दिनांक 13.11.2025 जारी किया गया था, जिसे

दिनांक 14.11.2025 को प्रेषित किया गया था, वह न तो वापस प्राप्त हुआ है और न ही आज

तक कोई वकालतनामा दाखिल किया गया है। अतः, उच्च न्यायालय नियमावली के अध्याय

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य प्रयोजन के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी विधिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



VIII, नियम 12, स्पष्टीकरण II की दृष्टि से, विरोधी पक्षकार सं. 4 पर नोटिस की तामील को पर्याप्त मानी जाती है।

2. याची के विद्वान् अधिवक्ता श्री आशुतोष कुमार श्रीवास्तव, प्रत्युत्तरदातागण राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान् स्थायी अधिवक्ता, और प्रत्युत्तरदाता सं. 5 के विद्वान् अधिवक्ता श्री सी. एल. यादव को सुना।

3. वर्तमान रिट याचिका के माध्यम से, याची रिट याचिका के संलग्नक-1 में अंतर्विष्ट आदेश दिनांक 30.5.2005 को चुनौती दे रहा है।

4. वाद का तथ्यात्मक ढांचा यह है कि याची प्रश्नगत भूमि का भूमिधर/स्वामी हो गया है और 30 जून, 1975 के पूर्व से कब्जे में है। कब्जे के आधार पर, याची को उप-निदेशक, चकबंदी द्वारा आदेश दिनांक 18.9.1991 के माध्यम से प्रश्नगत भूमि का स्वामी घोषित किया गया था। 28.4.1989 को विरोधी पक्षकार सं. 5 के पक्ष में पट्टा प्रदान किया गया था, जिसे निरस्त कर दिया गया था, और ज.उ.एवं भू.सु. अधिनियम की धारा 333 के अधीन आयुक्त, फैजाबाद के समक्ष एक पुनरीक्षण अधिमानित किया गया था ॥

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य प्रयोजन के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी विधिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



अपर कलेक्टर, बाराबंकी ने अंतिम रूप से आदेश दिनांक 4.9.1997 द्वारा मामल। याची के पक्ष में विनिश्चित किया था। अपर आयुक्त ने 30.5.2004 को एक आदेश पारित किया था, जिसके द्वारा पुनरीक्षण अनुज्ञात किया गया था और प्रत्युत्तरदाता सं. 5 के पक्ष में पट्टे के अनुदान को वास्तविक माना गया था और कब्जा अनुमोदित किया गया था। उक्त आदेश को चुनौती देते हुए, वर्तमान रिट याचिका दाखिल की गई है।

5. याची के विद्वान् अधिवक्ता का निवेदन है कि याची 1975 से विवादित भूमि के कब्जे में था, और चकबंदी कार्यवाही में, वह भूमि आबादी भूमि के रूप में परिवर्तित की गई थी और याची को प्रश्नगत भूमि का भूमिधर घोषित किया गया था, इसलिए, विद्वान् अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश न्यायोचित नहीं है और विधि की दृष्टि में संधार्य नहीं है।

6. याची के विद्वान् अधिवक्ता का अगला निवेदन है कि इस तथ्य के संबंध में कि याची ग्राम छेड़ा, परगना मोहम्मदपुर खाला, जिला बाराबंकी का निवासी है, रिट याचिका के पैरा 6 में उल्लेख किया गया है।

7. याची के विद्वान् अधिवक्ता का अगला निवेदन है कि उक्त भूमि लंबे समय से याची के कब्जे में रही है, और उक्त भूमि पर कब्जे के निर्बाध उपभोग के कारण, याची ने उ.प्र.ज.उ.

अधिनियम की धारा 122(ख) के उपबंधों के अनुसार उस भूमि पर भूमिधरी अधिकार अर्जित

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य प्रयोजन के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी विधिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



कर लिए थे, क्योंकि याची अनुसूचित जाति समुदाय का है और वह एक भूमिहीन कृषि मजदूर भी है।

8. याची के विद्वान् अधिवक्ता का अगला निवेदन है कि उप-निदेशक, चकबंदी ने 18.9.1981 को, इन सभी तथ्यों के बाद भी, विरोधी पक्षकार सं. 5 के पक्ष में एक पट्टा प्रदत्त किया था, जिसे 4.9.1997 को विरोधी पक्षकार सं. 3 द्वारा निरस्त कर दिया गया था, और विरोधी पक्षकार सं. 5, अर्थात् गब्बा द्वारा ज.उ.एवं भू.सु. अधिनियम की धारा 333 के अधीन आयुक्त, फैज बाद के समक्ष एक पुनरीक्षण अधिमानित किया था, और यह 9.5.1995 को निर्देश के रूप में राजस्व परिषद, इलाहाबाद को निर्दिष्ट किया गया था, जिसे, विधि के अनुसार इस मामले का विनिश्चय करने के लिए, अपर जिलाधिकारी, बाराबंकी को प्रतिप्रेषित किया गया था, और 4.9.1997 को अपर जिलाधिकारी, बाराबंकी द्वारा याची के पक्ष में इसका विनिश्चय किया गया था।

9. याची के विद्वान् अधिवक्ता का अगला निवेदन है कि अपर आयुक्त ने अभिलिखित त्रुटिपूर्ण निष्कर्ष पर निर्णीत किया है कि याची उस गांव का निवासी नहीं है जहां भूमि है और निर्णीत किया था कि विरोध में सुने जाने के लिए वह आवश्यक पक्षकार नहीं है, जो विधि की दृष्टि में संधार्य नहीं है। वह अग्रेतर इस निष्कर्ष पर आया था कि प्रत्युत्तरदाता सं. 5 को पट्टा किया गया था किन्तु प्रत्युत्तरदाता सं. 5 को पट्टे के अनुमोदन संबंधी कागज उपलब्ध नहीं हैं, और

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य प्रयोजन के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी विधिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



न ही प्रत्युत्तरदाता सं. 5 ने यह दावा किया था कि पट्टा कलेक्टर द्वारा अनुमोदित किया गया था। इसलिए आदेश दूषित प्रकृति का है और अपास्त किए जाने योग्य है।

10. दूसरी ओर, प्रत्युत्तरदातागण के अधिवक्ता निवेदन करते हैं कि आयुक्त द्वारा अभिलिखित निष्कर्ष में कोई कमी या अवैधता नहीं है और आदेश उचित और वैध आदेश है।

11. प्रत्युत्तरदातागण के अधिवक्ता ने आगे कहा है कि निष्कर्ष यह निकला है कि याची प्रश्नगत गांव का रहने वाला नहीं है, इसलिए उसे वाद लड़ने का कोई अधिकार नहीं है।

12. प्रत्युत्तरदातागण के अधिवक्ता ने अंतिम रूप से निवेदन किया है कि अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश उचित और वैध आदेश है और किसी कमी या अवैधता से ग्रसित नहीं है।

13. पक्षकारों के अधिवक्ता के विरोधी निवेदन सुनने के बाद, मैंने अभिलेख पर सामग्री का परिशीलन किया है।

14. अपर कलेक्टर के आदेश का परिशीलन करने पर, अभिलेख देखने पर यह प्रकट है कि यह निष्कर्ष अभिलिखित किया गया था कि प्रश्नगत भूमि आबादी भूमि के रूप में अभिलिखित है, इसलिए उसे कृषि के प्रयोजन से आवंटित नहीं किया जा सकता है और कृषि प्रयोजन के लिए उसे

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य प्रयोजन के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी विधिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



अभिलिखित किया जाना अनियमित है। अपर कलेक्टर द्वारा यह निष्कर्ष भी अभिलिखित किया गया है कि प्रस्ताव दिनांक 23.12.1972 के संबंध में, उपजिलाधिकारी की पत्रावली में कोई कार्यसूची या प्रकाशन विद्यमान नहीं है और न ही उस प्रस्ताव का अनुमोदन विद्यमान है, इसलिए विरोधी पक्षकार सं. 5 को प्रदत्त पट्टा अवैध है और निरस्त किए जाने योग्य है।

अपर कलेक्टर द्वारा अभिलिखित निष्कर्ष पर अपर आयुक्त द्वारा कहीं भी विचार नहीं किया गया है और प्रश्नगत बिन्दु पर कोई निष्कर्ष अभिलिखित किए बिना, आदेश पारित किया गया है, इसलिए यह आदेश विधि में संधार्य नहीं है और अपास्त किए जाने योग्य है।

15. अपर आयुक्त ने यह निष्कर्ष भी अभिलिखित किया है कि याची उस गांव विशेष का निवासी नहीं है, किन्तु इस संबंध में यह निष्कर्ष अभिलिखित करते समय किसी भी सामग्री पर विचार नहीं किया गया था। अपर आयुक्त द्वारा अभिलिखित निष्कर्ष दूषित प्रकृति का है और किसी तर्कसंगत आधार के बिना है, इसलिए अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश विधि की दृष्टि में संधार्य नहीं है।

16. जब अपर कलेक्टर ने यह निष्कर्ष अभिलिखित किया था कि प्रस्ताव दिनांक 23.12.1972 के आधार पर, विरोधी पक्षकार सं. 5, 23.12.1972 को प्रस्ताव धृत करने के संबंध में प्रस्ताव या प्रकाशन प्रस्तुत नहीं कर सका था और न ही उस प्रस्ताव के अनुमोदन

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य प्रयोजन के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी विधिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



का आदेश प्रस्तुत कर सका था और निर्णीत किया था कि विरोधी पक्षकार सं. 5 को प्रदत्त पट्टा निरस्त किए जाने योग्य है। अपर कलेक्टर द्वारा अभिलिखित यह निष्कर्ष, अपर आयुक्त द्वारा आक्षेपित आदेश दिनांक पारित करने में उलटा नहीं गया है, इसलिए, वस्तुतः, यह आदेश अवैध है और अपास्त किए जाने योग्य है।

17. प्रत्युत्तरदातागण के विद्वान् अधिवक्ता प्रस्तुत किया गया तर्क कि याची उस गांव विशेष निवासी नहीं है, इस संबंध में किसी सारवान् साक्ष्य पर आधारित नहीं है, इसलिए इस संबंध में दिया गया तर्क विधि में संधार्य नहीं है और निरस्त किया जाता है। अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश प्रत्यक्ष रूप से अवैधता से ग्रसित है और अपास्त किए जाने योग्य है।

18. उपर्युक्त अभिलिखित कारणों की दृष्टि से, आदेश दिनांक 30.5.2005 एतद्वारा निरस्त किया जाता है। मामला, अपर आयुक्त (प्रशा.), फैजाबाद मंडल, फैजाबाद को, पक्षकारों को सुनने का पूर्ण अवसर देने के बाद, अपने आदेश दिनांक 4.9.1997 में अपर कलेक्टर द्वारा अभिलिखित निष्कर्ष पर, विशेषकर इस तथ्य के संबंध में विचार करते हुए कि विरोधी पक्षकार सं. 5 के पक्ष में पारित प्रस्ताव को कोई अनुमोदन प्रदत्त नहीं किया गया था, नए सिरे से विनिश्चय करने के लिए, प्रतिप्रेषित किया जाता है।

19. परिणामतः, यह रिट याचिका अनुज्ञात की जाती है।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य प्रयोजन के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी विधिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



20. तथापि, उचित पक्षकारों का, विशेषकर याची के संबंध में, कि क्या उसे वैध अधिकार है या नहीं, विनिश्चय करने के लिए अपर कलेक्टर स्वतंत्र हैं।

मार्च 19, 2026
जी के सिन्हा

(न्यायमूर्ति इरशाद अली)

Translated Version. Not for Legal Use.

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य प्रयोजन के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी विधिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”